न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –07 / 2021
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021 / 10

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
शिवकरण पुत्र जोगाराम जाति हरिजन निवासी नागौर तहसील व जिला नागौर, राज0		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री पवन श्रीमाली।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।

निर्णय **दिनांक** 15-07-2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा नम्बर 134 / 2020 सरकार बनाम शिवकरण अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 05.01.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.02.2021 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार नागौर के समक्ष पटवारी हल्का, बालवा ने एक सरासर गलत रिपोर्ट अपीलांट के विरूद्ध पेश कर जाहिर किया कि अपीलांट / गेर सायल ने मौजा चकघिसनियाडेर के खसरा नम्बर 27 रकबा 0.10.14 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर संवत् 2077 मे फसल मोठ बोकर अतिक्रमण किया है। जिस पर उक्त प्रकरण धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया। अपीलांट ने नोटिस का लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का ने गेर सायल के विरूद्ध खसरा नम्बर 27 रकबा 0.10.14 बीघा गै.मु. रास्ता वाके मौजा चकघिसनियाडेर पर कब्जा /अतिक्रमण बता कर सरासर गलत रिपोर्ट पेश की है व उस रिपोर्ट के आधार पर गलत तवज्जा दिलाकर व वास्तविक तथ्य छुपा कर नोटिस दिलवाया गया है क्योंकि वास्तविक स्थिति तो यह है कि खसरा नम्बर 28 / 162 रकबा 10 बीघा गेर सायल के नाम आंवटन हुआ था तब हल्का पटवारी ने नाप कर गेर सायल को कब्जा सुपुर्द किया गया था, उस समय से उसी भूभाग पर गेर सायल काबिज रह कर उपयोग उपभोग कर रहा है, गेर सायल ने कथित रास्ते के किसी भी भूभाग पर अतिक्रमण नहीं किया है पटवारी हल्का ने मौके पर नाप चोप किये बिना ही अंदाज से ही अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट कर नोटिस जारी करवाया है, गेर सायल का खेत खसरा नम्बर 28 / 162 रकबा 10 बीघा का नाप चोप करने पर अगर गेर सायल का रकबा 10 बीघा से ज्यादा कब्जा निकलता है तो गेर सायल छोडने को तैयार है व रहेगा। गेर सायल का कोई कब्जा आंवटित भूमि के अलावा किसी रकबा पर नहीं है। यह भी निवेदन किया कि तहसीलदार अपने स्तर पर मौका निरीक्षण करावे तथा गेर सायल को आंवटित भूमि व [illegible] भूमि का नाप चोप करावे ताकि वास्तविक स्थिति प्रकट हो सके तथा नोटिस की [illegible] करने का निवेदन किया।

तत्पश्चात् तहसीलदार नागौर ने सीमाज्ञान रि[illegible]नांक 05.01.2021 पत्रावली में मंगवाई जाने का हवाला देकर खसरा नम्बर 27 गै.मु. रास्ता व खसरा नम्बर 28, 28 / 1[illegible] 162 के खातेदारों का अतिक्रमण होना बताकर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करके बेदखल करने व जुर्माना अधिरोपित करते हुए अपीलांट के हितो की अनदेखी करते हुए कथित तीन खसरो के खातेदारो द्वारा शामिल रूप से अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जैर अपील दिनांक 17.12.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:31:27 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

पारित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपलांट ने निम्न आधारों पर अन्दर मियाद यह अपील पेश करने का कथन किया है।

लायक अदालत मातहत का निर्णय जैर अपील गलत, विधि विरूद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार के समक्ष अपीलांट ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उसको नियमानुसार आंवटित 10 बीघा भूमि से एक इंच ही अन्य किसी भूमि या रास्ता की भूमि पर कोई कब्जा अतिक्रमण नहीं है व आस पास के खसरो का नाम चोप करवाने का निवेदन किया तो वैसी सुरत में अपीलांट की उपस्थिति में सभी खसरो का नाप चोप करवाया जाना आवश्यक था व है लेकिन ऐसी कोई जांच व नाप चोप तमाम खसरान की अपीलांट व दीगर मूल खसरा के खातेदारो की उपस्थिति में नहीं करवाई तथा खसरा नम्बर 28, 28/161 व 28/162 के खातेदारों द्वारा अतिक्रमण करना बताया है जबकि इन खसरान का पहले एक ही चक था जिसमें से अलग–अलग रकबा अलग–अलग कब्जाधारीयों को पुराने समय में आवंटित किया व विधिवत आंवटन खसरा नम्बर 28/162 रकबा 10 बीघा अपीलांट की खातेदारी में दर्ज हुआ व उसी 10 बीघा पर अपीलांट का कदीम से निरन्तर चारो तरफ सीवो माठो से कब्जा काश्त रहता चला आया है तथा ये तीनो खसरान एक ही सीध में है व इनके चिपता उतर में रास्ता राजस्व नक्शा में स्पष्ट दर्शाया है नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि रास्ता इन खसरान के उतरी सीमा के चिपता रहता चला आया है मगर गांव के कुछ समूह विशेष के लोगों द्वारा नाजायज रूप से उतरी तरफ चलने वाले रास्ते को छुपाते हुए नया रास्ता इन खसरान के बीच में से होकर निकालने पर आमादा है जबकि आवंटित भूमि का ट्रेस नक्शा पासबुक के साथ अपीलांट को पटवारी हल्का बालवा द्वारा जारी करके दिया गया था जिस नक्शा से हट कर अपीलांट की आंवटित खातेदारी की भूमि मे से रास्ता जबरन कायम करके अपीलांट की आवंटित भूमि को खुर्द करने पर आमादा है तथा सरकारी योजना का दुरूपयोग करके जबरन सड़क बनाने की तैयारी करने पर अपीलांट ने इस हेतु कानूनी कार्यवाही की गयी थी और वे लोग अपने इन गलत मनसूबो में कामयाब नहीं हुए तो अपीलांट पर दबाव बनाने के लिए पटवारी हल्का को दबाव व प्रभाव में लेकर सरासर मिथ्या अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करवा दी है जबकि अपीलांट श्रीमान से निवेदन करता है कि उसको आवंटितसुदा 10 बीघा भूमि का नाप चोप निष्पक्ष टीम से अपीलांट की मौजूदगी में करवाई जावे व नक्शा ट्रेस अनुसार उतरी तरफ के रास्ते का नाप चोप करवा कर रास्ता जहां नक्शा में दर्शित है उस पर किन किन लोगो का कब्जा अतिक्रमण है उसकी रिपोर्ट मंगवाई जावे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जावेगी व वैसी सुरत में अपीलांट की आवंटितसुदा 10 बीघा से 1 इंच भूमि पर भी अतिक्रमण नहीं आयेगा और यदि आता है तो अपीलांट ऐसा कब्जा हटाने का सदैव तैरूर था व है ऐसा निवेदन तहसीलदार के समक्ष भी किया था मगर इस ओर ध्यान नहीं देकर मात्र औपचारिकता पुरी की गयी है उतरी तरफ के रास्ते का कोई नाप चोप सीमाज्ञान नहीं करवाया न ही अपीलांट को आवंटित 10 बीघा भूमि का नाप चोप कर सीमाज्ञान किये बिना ही तीन खातेदारो का संयुक्त अतिक्रमण बताया है जबकि इनका किस प्रकार अतिक्रमण है, रास्ता कहा बताया जा रहा है व नक्शा में रास्ता कहां पर दर्शाया गया है इस बाबत कोई खुलासा रिपोर्ट नहीं है इन परिस्थितियों में बिना अतिक्रमण के किसी गरीब काश्तकार को सरकार द्वारा आवंटित व खातेदारी की भूमि से बेदखल किया जाना कतई उचित नहीं है अपीलांट के हितो की अनदेखी की गयी है व अपीलांट के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि कुछ समूह विशेष के लोग आनन फानन में एक बार अतिक्रमण की रिपोर्ट करवा कर निर्णय करवाने व उसके पश्चात पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमण का मुकदमा करवा कर सिविल कारावास आदि का निर्णय करवा कर अपीलांट को डर में लेकर जबरन कटाणी रास्ता से हटकर अपीलांट के खेत में से अपनी सुविधा अनुसार सड़क निर्माण करवाना चाहते है मात्र इसी उद्वेश्य से बड़े स्तर पर सांठ गांठ व मिलीभगती से सारी गैर कानूनी कार्यवाही की गयी है।

पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध कथित रास्ता पर अतिक्रमण करने की जो रिपोर्ट पेश की है मौके पर वहां ऐसा कोई रास्ता नहीं है रास्ता खसरान के उतरी सीमा पर नक्शा ट्रेस में दर्शाया हुआ है उस बाबत कोई रिपोर्ट जानबूझ कर पेश नहीं की है न ही उस रास्ते को कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:31:27 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

किया जा रहा है व राजस्व नक्शा व मौके की स्थिति से हटकर मनमर्जी से दुसरी जगह रास्ता स्थापित करना चाहते है जो कतई विधि सम्मत नहीं है।

अपीलांट से अदावत रखने वाले व राजनैतिक कारणो से द्वैषताभाव रखने वाले लोग खसरा नम्बर 27 में सड़क का निर्माण नहीं करवा कर अपीलांट के खेत के मध्य में से होकर सड़क का निर्माण करवाना चाहते है व ऐसी खुली धमकी दी है जबकि अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 28 / 162 में कोई रास्ता न तो कभी रहा न आज दिन है न ही नक्शा में दर्शित है इसके बावजूद अपीलांट को अतिक्रमी मानकर कथित निर्णय की आड़ में खातेदारी व आवंटित रकबे से बेदखल कर जबरन नया रास्ता दुसरी जगह अपीलांट के खेत मे स्थापित करके सड़क निर्माण करवा दी व अपीलांट को बेदखल कर दिया तो उसका खेत असुरक्षित हो जायेगा, आवंटित भूमि का रकबा पहले से ही मौके पर कम है तथा और कम हो जायेगा जिससे अपीलांट खातेदार काश्तकार के विधिक हक अधिकारों व हितों पर कुठाराघात होगा।

अपीलांट द्वारा कथित किसी रास्ते पर कोई अतिक्रमण किया हो, ऐसी ग्रामवासीयो व काश्तकारो की कोई शिकायत कभी नहीं रही है पिछले कई दशको से जहां आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया उसी पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहता चला आया है चारो तरफ धौरा पाली व कदीमी वृक्ष है नया कोई कब्जा या अतिक्रमण कतई साबित नहीं है न कभी अपीलांट ने कोई अतिक्रमण किया है केवल मात्र वास्तविक उतरी तरफ के रास्ते को एकदम समाप्त करके एक नया ही रास्ता खातेदारी की भूमि में कायम करना कतई उचित नहीं है न ही ऐसी विधि की मंशा है तथा नरेगा योजना या सड़क बाबत अन्य सरकारी योजना जो भी हो उनमें सरकार का यह स्पष्ट निर्देश होता है कि राजस्व नक्शा में जहां रास्ता दर्शित है उसी रास्ता पर सड़क बनाई जा सकती है उससे हट कर किसी खातेदार की भूमि में सड़क बनाने से स्पष्ट वर्जित किया हुआ है लेकिन प्रकरण हाजा में इन विधिक प्रावधानो व सरकारी दिशा निर्देशो व नियमो की खुली अवहेलना की जा रही है और वास्तविक तथ्यो को बिल्कुल छुपाते हुए नजर अन्दाज करते हुए बिना किसी प्रकार का अतिक्रमण हुए केवल मात्र दबाव बनाने के लिए अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की एकदम गलत रिपोर्ट पटवारी से करवा कर आनन फानन में खुलासा मुन्तकिल पोईन्ट से राजस्व नक्शा अनुसार नाप चोप व सीमाज्ञान करवाये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया गया है व अपीलांट को आंवटित भूमि से बेदखल करने की तैयारी की जा रही है इस कारण निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट पुनः निवेदन करता है कि उसको आवंटित खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 28 / 162 रकबा 10 बीघा का उसकी उपस्थिति में नाप चोप करवा कर सीमाज्ञान करवा दिया जावे और यदि रकबा मौके पर कम हो तो उसको पूरा करवाया जावे व आवंटित रकबा से अधिक यदि कब्जा मिलता है तो अपीलांट ऐसा कब्जा स्वतः छोड़ने के लिए तैयार है व रहेगा, इन परिस्थितियो में निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

लायक अदालत मातहत ने अपीलांट को न तो पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया न ही अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का उचित अवसर प्रदान किया इतना ही नहीं आनन फानन में उक्त आदेश की आड़ में पटवारी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर खातेदारी की भूमि से अपीलांट को बेदखल कर बेजा नुकसान पहुचाने की तैयारी में होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश / निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व पारित किया होने से खारिज फरमाने, विकल्प में पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे कि अपीलांट की उपस्थिति में राजस्व नक्शा में दर्शित रास्ता व आस पास के तमाम खसरान का नाप चोप करवाया जावे व उतरी तरफ रास्ता पर जिस किसी का अतिक्रमण है तो उसका पता लगवा कर वास्तविक रास्ता पर से अतिक्रमण हटवाया जावे व अपीलांट को आवंटित भूमि खसरा नम्बर [illegible] रकबा 10 बीघा का नाप चोप करवा कर सीमाज्ञान करवाया जाने व अपीलांट की उसकी खातेदारी भूमि 10 बीघा के किसी भी भूभाग से बेदखल नहीं करने हेतु निर्देश देकर अपीलांट के साथ [illegible] कराने निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पुनिया ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में पटवारी बालवा की रिपोर्ट दिनांक 19.10.2020 के अनुसार अपीलान्ट [illegible] ग्राम चकघिसनियाडेर के खसरा नम्बर 27 गैर मुमकिन रास्ता की 0–10–14 बीघा भूमि पर मोठ की फसल बोकर नाजायज अतिकमण किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:31:27 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया गया है जिसमें भी अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलांट का विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि अनुरूप है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार तथ्यों पर आधारित होने का कथन करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में पटवारी बालवा की रिपोर्ट दिनांक 19.10.2020 जो भू–अभिलेख निरीक्षक, गोगेलाव द्वारा दिनांक 20.10.2020 को सत्यापित है, के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम चकघिसनियाडेर के खसरा नम्बर 27 गैर मुमकिन रास्ता की 0–10–14 बीघा भूमि पर मोठ की फसल बोकर नाजायज अतिकमण किये जाने की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब भी प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान बाबत टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाया गया। उक्त संबंध में सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.12.2020 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 27 किस्म गै.मु. रास्ता पर खसरा नम्बर 28, 28/161, 28/162 के खातेदारो द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाये जाने पर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है तथा पटवारी बालवा की रिपोर्ट एंव तत्पश्चात् सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलांट का वादग्रस्त रास्ते की सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:31:27 IST
Reason: SelfAttested